FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जितेन्द्रपाल सिंह बनाम सुखचरन सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी. नम्बर 11 सन 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/279

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुआ हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2024	पार्थीगण जितेन्द्रपाल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 39 एच की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 43/39 की 8.603 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।	नोटिस जारी 352 4/9/24
29/11/24	आज यह पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC प्रस्तुत किए हुए 90 दिवस का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नाबर से कम होकर लेख भण्डार हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर